मेंस मास्टर

SC ने रिश्वत लेने वाले विधायकों की छूट खत्म की

संदर्भ: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 25 साल पुरानी मिसाल को पलटते हुए फैसला सुनाया कि रिश्वत लेने वाले विधायक अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते। यह निर्णय झामुमो नेता सीता सोरेन द्वारा दायर अपील के जवाब में आया, जिन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया था।

पृष्ठभूमि: 1998 के जेएमएम रिश्वत मामले के पिछले फैसले में, रिश्वत लेने वाले विधायकों को अभियोजन से बचने की अनुमति दी गई थी, अगर उन्होंने अपना वोट या भाषण देने का वादा पूरा किया हो। इससे निम्नलिखित के बारे में चिंताएँ बढ़ीं:

* **सार्वजनिक विश्वास का क्षरण:** नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हैं कि वे ईमानदारी के साथ काम करेंगे और कानून को बनाए रखेंगे। रिश्वतखोरी को दण्ड से मुक्त करने की अनुमति देने से यह धारणा बन सकती है कि राजनेता कानून से ऊपर हैं, जिससे जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास में गिरावट आएगी।
* **लोकतांत्रिक सिद्धांतों का कमजोर होना:** प्रतिनिधि लोकतंत्र निर्वाचित अधिकारियों पर निर्भर करता है जो अपने विवेक और जिन लोगों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उनके सर्वोत्तम हितों के आधार पर निर्णय लेते हैं। रिश्वतखोरी व्यक्तियों को प्रभाव खरीदने और विधायी प्रक्रिया में हेरफेर करने की अनुमति देकर इस सिद्धांत को कमजोर करती है।
* **नैतिक आचरण को हतोत्साहित करना:** पिछले फैसले ने एक संदेश भेजा था कि कुछ परिस्थितियों में रिश्वत लेना बर्दाश्त किया जा सकता है। यह मजबूत नैतिक मूल्यों वाले संभावित उम्मीदवारों को राजनीति में प्रवेश करने से हतोत्साहित कर सकता है और दूसरों को भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: अदालत ने घोषणा की कि संसदीय विशेषाधिकार विधायकों को रिश्वतखोरी से संबंधित आपराधिक आरोपों से नहीं बचाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया:

* **भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है:** रिश्वत लेना या देना एक आपराधिक कृत्य है जो विधायी प्रक्रिया की अखंडता और कानून के शासन को कमजोर करता है। जनता का विश्वास बनाए रखने और निष्पक्ष एवं निष्पक्ष समाज सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचित अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना आवश्यक है।
* **छूट आपराधिक गतिविधि तक विस्तारित नहीं होती है:** विधायकों को दिए गए विशेषाधिकार और छूट का उद्देश्य उन्हें अपने विधायी कर्तव्यों में अनुचित हस्तक्षेप से बचाना है। ये सुरक्षा रिश्वतखोरी के कृत्यों तक विस्तारित नहीं है, जो आपराधिक अपराध हैं जो वैध विधायी गतिविधि के दायरे से बाहर हैं।
* **स्वतंत्र भाषण और मतदान रिश्वतखोरी के लिए औचित्य नहीं हैं:** अदालत ने स्पष्ट किया कि सदन में मतदान सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रिश्वत लेने या देने के कार्य को शामिल नहीं करती है। ये अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, और स्वतंत्र भाषण या मतदान के अधिकार की आड़ में रिश्वतखोरी में संलग्न होने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

लोकतंत्र पर प्रभाव: इस फैसले के कई संभावित निहितार्थ हैं:

* **भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लड़ाई:** रिश्वतखोरी के लिए प्रतिरक्षा कवच को हटाकर, यह निर्णय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भ्रष्ट अधिकारियों की अधिक प्रभावी ढंग से जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर हों।
* **जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि:** विधायकों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने से अधिक पारदर्शी और जवाबदेह विधायी प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। यह जिम्मेदार निर्णय लेने को प्रोत्साहित करता है और भ्रष्ट आचरण को हतोत्साहित करता है।
* **कानून के शासन का सुदृढ़ीकरण:** अदालत का फैसला इस सिद्धांत को कायम रखता है कि कानून के तहत हर कोई समान है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उनकी स्थिति या स्थिति कुछ भी हो, कानून से ऊपर नहीं है और आपराधिक अपराधों के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा नहीं है।

आगे की राह: अदालत का निर्णय विधायकों के बीच बेहतर नैतिक आचरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हुए, यह महत्वपूर्ण है:

* **कानून के शासन को कायम रखें:** भ्रष्टाचार को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून का लगातार और निष्पक्ष कार्यान्वयन आवश्यक है। इसके लिए मजबूत कानूनी ढांचे, कुशल जांच और अभियोजन प्रक्रियाओं और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है।
* **भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को लागू करें:** मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को लागू करना, जैसे कि सख्त अभियान वित्त नियम, वित्तीय प्रकटीकरण आवश्यकताएं, और व्हिसलब्लोअर सुरक्षा तंत्र, भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने में और मदद कर सकते हैं।
* **नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना:** सार्वजनिक सेवा में सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इसे सार्वजनिक शिक्षा अभियानों, निर्वाचित अधिकारियों के लिए नैतिकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उदाहरण के तौर पर मजबूत नेतृत्व को बढ़ावा देने के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
* **सार्वजनिक विश्वास बनाए रखें:** लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए लोगों की जरूरतों के प्रति पारदर्शिता, जवाबदेही और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। इसे खुले संचार, सक्रिय नागरिक भागीदारी और सुशासन प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थिति

संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) की कोर-लोडिंग देखी। इस घटना को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है।

पृष्ठभूमि:

• भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को ऊर्जा सुरक्षा और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की बढ़ती आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है।

• कार्यक्रम का लक्ष्य तीन चरणों वाली योजना के माध्यम से परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।

तीन चरण:

चरण I (परिचालन, 1960-वर्तमान):

• **प्रौद्योगिकी:** प्राकृतिक यूरेनियम (जिसमें थोड़ी मात्रा में विखंडनीय यू-235 आइसोटोप होता है) द्वारा ईंधन वाले दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) का उपयोग किया जाता है।

• **प्रक्रिया:** PHWRs न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए भारी पानी (ड्यूटेरियम ऑक्साइड) का उपयोग करते हैं, जिससे वे U-235 में विखंडन प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकते हैं और ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। यह चरण उपोत्पाद के रूप में प्लूटोनियम-239 (पीयू-239) का भी उत्पादन करता है।

• **चुनौतियाँ:** प्राकृतिक यूरेनियम में सीमित ईंधन संसाधनों के कारण अधिक कुशल ईंधन उपयोग की ओर संक्रमण की आवश्यकता होती है।

चरण II (शुरुआत, 2024 से आगे):

• **प्रौद्योगिकी:** पीएफबीआर की तरह फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (एफबीआर) में पीयू-239 और यू-238 का उपयोग करता है।

• **प्रक्रिया:** एफबीआर पीयू-239 और यू-238 में विखंडन प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करने के लिए तेज़ न्यूट्रॉन का उपयोग करते हैं, जिससे वे ऊर्जा और एक अन्य विखंडनीय सामग्री, यू-233 के साथ-साथ उपभोग की तुलना में अधिक पीयू-239 का उत्पादन करते हैं। इस चरण का लक्ष्य ईंधन दक्षता और प्लूटोनियम उत्पादन को बढ़ाना है।

• **पीएफबीआर का विशिष्ट विवरण:**
  ◦ खपत से अधिक पीयू-239 का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ईंधन स्थिरता में योगदान देता है।
  ◦ शीतलक के रूप में तरल सोडियम का उपयोग करता है, जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है और यदि ठीक से प्रबंधित न किया जाए तो सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो जाती है।
  ◦ विकास और निर्माण के दौरान देरी, लागत में बढ़ोतरी और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

चरण III (भविष्य):

• **प्रौद्योगिकी:** ऊर्जा और यू-233 उत्पन्न करने के लिए रिएक्टरों में पीयू-239 और थोरियम-232 (टीएच-232) का उपयोग करने का लक्ष्य है।

• **प्रक्रिया:** थोरियम भारत में प्रचुर मात्रा में है और इसे न्यूट्रॉन बमबारी के माध्यम से विखंडनीय यू-233 में परिवर्तित किया जा सकता है। इस चरण का लक्ष्य भारत के प्रचुर थोरियम संसाधनों का उपयोग करके दीर्घकालिक ईंधन स्थिरता बनाना है।

• **चुनौतियाँ:** थोरियम ईंधन चक्र विकास अभी भी अनुसंधान और विकास के अधीन है और इसमें और अधिक तकनीकी प्रगति की आवश्यकता है।

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की चुनौतियाँ:

• **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** फुकुशिमा जैसी पिछली घटनाओं के कारण जनता की धारणा अक्सर नकारात्मक होती है, और मजबूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

• **नियामक ढांचा:** वर्तमान संरचना पर्याप्त रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकती है, और पारदर्शिता और जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है।

• **अपशिष्ट प्रबंधन:** परमाणु विखंडन प्रक्रियाएं और पुनर्प्रसंस्करण गतिविधियां दोनों ही रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं जिनके लिए जटिल प्रबंधन और विस्तारित अवधि के लिए सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता होती है।
• **नवीकरणीय ऊर्जा से प्रतिस्पर्धा:** सौर ऊर्जा तेजी से लागत-प्रतिस्पर्धी होती जा रही है और परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता पर सवाल उठाती है।
कुल मिलाकर, पीएफबीआर की कोर-लोडिंग भारत के परमाणु कार्यक्रम के चरण II के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, कार्यक्रम को सुरक्षा, विनियमन, अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्रतिस्पर्धा से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम की दीर्घकालिक सफलता और सार्वजनिक स्वीकृति के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण होगा।

प्रीलिम्स बूस्टर

जीआई टैग

🧵 आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में नरसापुर क्रोकेट लेस शिल्प को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है, जो इस शिल्प में शामिल संघर्षरत कारीगरों को एक जीवन रेखा प्रदान करता है, जिससे लुप्त हो रहे उद्योग को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है।
🏷️ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा पंजीकृत जीआई टैग प्रमाणित करता है कि शिल्प भौगोलिक रूप से पश्चिम गोदावरी और डॉ. बी.आर. के विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है। अंबेडकर कोनसीमा जिले, नरसापुर, पलाकोले, रज़ोल और अमलापुरम फीता उत्पादों के लिए प्रमुख व्यापार बिंदु हैं।
👩‍🎨 लगभग 15,000 महिला कारीगर सीधे तौर पर लेस से बने परिधान, घरेलू साज-सज्जा और सहायक उपकरण बनाने में लगी हुई हैं, अलंकृती फेडरेशन, नरसापुर ऑल इंडिया क्रोकेट लेस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और आंध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम ने संयुक्त रूप से समर्थन के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। शिल्प का पुनरुद्धार.
📉 शिल्प को COVID-19 महामारी के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उत्पादन और बाजार की मांग में उल्लेखनीय गिरावट के साथ, चीन के मशीन-निर्मित फीता उत्पादों से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। जीआई टैग से शिल्प की दृश्यता को बढ़ावा मिलने, व्यापार को पुनर्जीवित करने और विदेशी निर्यात में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे कारीगरों और उद्योग को समग्र रूप से लाभ होगा।

- 🗺️ एक भौगोलिक संकेत (जीआई) एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति वाले उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है और इसमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। जीआई के रूप में कार्य करने के लिए, एक चिन्ह को किसी उत्पाद को किसी दिए गए स्थान पर उत्पन्न होने की पहचान करनी चाहिए। उत्पाद के गुण, विशेषताएँ या प्रतिष्ठा अनिवार्य रूप से मूल स्थान के कारण होनी चाहिए, जिससे उत्पाद और उसके उत्पादन के मूल स्थान के बीच एक स्पष्ट संबंध बन सके।

- 👥 भौगोलिक संकेत अधिकार धारकों को तीसरे पक्षों द्वारा अनधिकृत उपयोग को रोकने में सक्षम बनाते हैं जिनके उत्पाद लागू मानकों के अनुरूप नहीं हैं। उदाहरण के लिए, दार्जिलिंग जैसे संरक्षित क्षेत्राधिकार में, निर्माता निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले उत्पादों के लिए "दार्जिलिंग" शब्द के उपयोग को बाहर कर सकते हैं। हालाँकि, सुरक्षा समान तकनीकों के उपयोग को रोकने तक विस्तारित नहीं होती है जब तक कि वे उस संकेत के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं।

- 🌾 भौगोलिक संकेत आमतौर पर कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, शराब, स्प्रिट, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उजागर करते हैं जो सुरक्षा के इस रूप से लाभ उठा सकते हैं।

- 🔒 भौगोलिक संकेतों को सुई जेनेरिस सिस्टम, सामूहिक या प्रमाणन चिह्न, व्यावसायिक प्रथाओं और अनुचित प्रतिस्पर्धा कानूनों सहित विभिन्न तरीकों से संरक्षित किया जाता है। ये दृष्टिकोण सुरक्षा और दायरे की शर्तों के संदर्भ में भिन्न हैं, जिनमें कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जैसे परिभाषित मानकों को पूरा करने वालों द्वारा सामूहिक उपयोग के लिए अधिकार स्थापित करना।

- 🌍 भौगोलिक संकेतों को विभिन्न देशों और क्षेत्रों में विभिन्न कानूनी परंपराओं और आर्थिक स्थितियों को दर्शाते हुए दृष्टिकोणों के संयोजन के माध्यम से विश्व स्तर पर संरक्षित किया जाता है।
- 🧬 भौगोलिक संकेतों में उत्पत्ति का पदवी, उत्पत्ति का संरक्षित पदनाम और संरक्षित भौगोलिक संकेत जैसे शब्द शामिल हैं, प्रत्येक बौद्धिक संपदा अधिकारों और उत्पाद मूल संरक्षण के दायरे में विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

क्या आप स्पैम या धोखाधड़ी कॉल से थक गए हैं? चक्षु पर शिकायत दर्ज करो

- 📞 दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार उपयोगकर्ताओं के लिए धोखाधड़ी या स्पैम कॉल करने वालों की रिपोर्ट करने के लिए एक मंच, चक्षु लॉन्च किया, जो sancharsathi.gov.in/sfc पर उपलब्ध है।
- 🔍 चक्षु उपयोगकर्ताओं को बैंक खाते, भुगतान वॉलेट, सिम, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, केवाईसी अपडेट, प्रतिरूपण और सेक्सटॉर्शन सहित विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।
- 🛡️ डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और पहचान दस्तावेज़ जारी करने वाले अधिकारियों के लिए एक गैर-सार्वजनिक डेटा-साझाकरण संसाधन के रूप में पेश किया गया था।
- 👤 मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दूरसंचार कंपनियों और नागरिक समाज समूहों द्वारा गोपनीयता अधिकारों के बारे में उठाई गई चिंताओं के बावजूद, उपयोगकर्ताओं को आने वाले कॉल करने वालों के पंजीकृत नाम को देखने की अनुमति देने के लिए कॉलर नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) का समर्थन किया।
- 🚪 वैष्णव ने सीएनएपी की तुलना यह जानने के अधिकार से की कि दरवाजे पर कौन है, जो गोपनीयता और कॉल करने वाले की पहचान के बीच संतुलन का संकेत देता है।

एक टीका जो छह कैंसरों को रोकता है

- 🦠 सर्वाइकल कैंसर एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य बोझ है, हर साल 300,000 से अधिक महिलाएं इस बीमारी से अपनी जान गंवाती हैं। इनमें से अधिकांश मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं, जो प्रभावी रोकथाम रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती हैं, खासकर भारत जैसे क्षेत्रों में जहां गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है।
- 🩹 सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की रणनीतियों में एचपीवी टीकाकरण और कैंसर पूर्व घावों की जांच शामिल है। इन दृष्टिकोणों का लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन की 90-70-90 ट्रिपल पिलर हस्तक्षेप रणनीति के साथ तालमेल बिठाते हुए 2030 तक सर्वाइकल कैंसर को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में खत्म करना है, जो टीकाकरण, स्क्रीनिंग और उपचार पर जोर देती है।
- 🇮🇳 भारत ने 2008 में एचपीवी वैक्सीन पेश करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और 2023 में इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने की राह पर है। यह कदम सभी लड़कियों के लिए टीकों की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे देश में जहां लगभग 500 मिलियन महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का खतरा है।
- 🩺 चिकित्सक एचपीवी टीकाकरण को बढ़ावा देने और सर्वाइकल कैंसर की नियमित जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया (FOGSI) और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (IAP) जैसी मेडिकल सोसायटी सक्रिय रूप से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को शिक्षित करने और कैंसर की रोकथाम के उपायों की वकालत करने में शामिल हैं।
- 🚺 एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर सहित छह कैंसर से सुरक्षा प्रदान करती है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए शीघ्र टीकाकरण और नियमित जांच के महत्व पर प्रकाश डालती है। सर्वाइकल कैंसर और अन्य एचपीवी-संबंधित कैंसर के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता पैदा करने, टीके की झिझक को दूर करने और निवारक उपायों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं।